


उत्तरांचल शासन  
प्रोटोकाल विभाग  
संख्या- 186 / XXXIII / 2006  
देहरादून दिनांक- 08 अगस्त, 2006

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-5 एवं धारा-19 में क्रमशः लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों के सम्बन्ध में प्राविधान किये गये हैं । इन व्यवस्थाओं के अधीन प्रोटोकाल विभाग, उत्तरांचल सचिवालय के आदेश संख्या-161/XXXIII/2005 दिनांक 02 सितम्बर, 2005 को, तत्कालीन अधिकारीगण के प्रोटोकाल विभाग से स्थानान्तरण हो जाने के कारण, संशोधित करते हुए लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी को इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्यों हेतु निम्नानुसार नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क. सं.	लोक प्राधिकारी इकाई का नाम	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी
क	ख	ग	घ	च
1	प्रोटोकाल विभाग, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून	श्री टी0के0 पन्त, संयुक्त सचिव/ प्रोटोकाल अधिकारी	श्री पी0एस0 विष्ट, अनु सचिव	श्री ए0एस0 हयांकी, अपर सचिव

2- इन कार्मिकों को इन कार्यों हेतु अलग से कोई वेतन/भत्ता देय नहीं होगा ।

  
( आलोक कुमार जैन )  
प्रमुख सचिव

संख्या- 186 (1)/XXXIII/2006, तददिनांक ।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- (1) सचिव, सूचना, उत्तरांचल शासन ।
  - (2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन ।
  - (3) स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन ।
  - (4) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल ।
  - (5) समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
  - (6) निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून ।
  - (7) गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

  
( ए0एस0 हयांकी )  
अपर सचिव